न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1581

1. नीलम पुत्री श्री जयसिंह, उम्र 37 वर्ष,
2. प्रतिभा चौधरी पुत्री श्री जयसिंह, उम्र 34 वर्ष,
3. हितेन्द्र पुत्र श्री जयसिंह, उम्र 39 वर्ष,
4. नरेश कुमार पुत्र श्री चुन्नी लाल, आयु 60 वर्ष,
   निवासीयान–ग्राम दुर्जनपुरा, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुंझुंनू, राज.।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं, राजस्थान।
2. रमेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी–दुर्जनपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं, निर्णय दिनांक 18.07.2025, प्रकरण संख्या 314/2025 में पारित कर, भूमि खसरा नम्बर 63, 85, 67, 69 वाके ग्राम दुर्जनपुरा, पटवार हल्का आबूसर, तहसील झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं में से रास्ता कायम करने के लिये पारित किया है।

उपस्थित :–

1. श्री सुमेर सैनी, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री हरलाल सिंह, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक – 07.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 18.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 04.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 07.07.2025 को कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनूं के अनुसार पटवार मण्डल आबुसर के राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा के हाल भूमि खसरा नम्बर 85, 63, 67 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 07.07.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्शा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट नीलम पुत्री जयसिंह वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं जिला झुंझुनूं दिनांक 18.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.07.2025 अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों, तथ्यों एवं सुस्थापित विधि के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं को तहसीलदार झुंझुंनूं द्वारा दिनांक 18.07.2025 को प्रस्तुत किये गये पत्र पर प्रकरण धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर, अन्य के अतिरिक्त अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 में से रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये, जबकि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किये जाने से पूर्व ना तो अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया, ना ही अपीलार्थीगण को प्रकरण के कभी नोटिस प्रेषित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं द्वारा विधिक प्रकिया एवं न्यायिक प्रकिया का एवं प्रकियात्मक विधि का अनुसरण किये बगैर मनमाने रूप से आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं को रास्ता कायम करने का विधि में कोई अधिकार नही है, वह भी तब जब हितबद्ध खातेदार को ना तो सुनवाई का अवसर दिया गया, ना ही सुनवाई हेतु मौका दिया गया। ऐसी सुरत में उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.07.2025 सुनवाई का अधिकार सिद्धान्त का घोर हनन होने के साथ–साथ न्याय का गला घोटने के समान है। इसलिये आक्षेपित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है। उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं को दिनांक 18.07.2025 को तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत हुये आवेदन पर दिनांक 18.07.2025 को ही प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मामले में अन्य के अतिरिक्त अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 में से रास्ता कायम किये जाने का आदेश आनन फानन में पारित कर दिया गया है, जो कतई न्यायोचित नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं द्वारा मामले में मौका निरीक्षण किये बगैर एवं स्वयं के मौके पर जाकर, मौका मुआयना किये बगैर तहसीलदार की तथाकथित रिपोर्ट इत्तेफाक रखकर, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

हस्तगत मामले में अधीनस्थ हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं समस्त की कार्य प्रणाली बड़ी ही संदेहास्प्रद है, जो इस ओर दृष्टीगौचर कर रही है कि, उक्त समस्त राजकीय लोक सेवक किस हद तक जाकर, दूषित राजकीय अभिलेखों की रचना करने के आदि है। दिनांक 18.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं के समक्ष प्रस्तुत हुआ आवेदन दो भाग में था, जिसमें एक भाग में टाईपशुदा आवेदन जिसके रिक्त स्थान खाली थे, को पेन से भरा गया एवं दूसरा भाग कार्यालय तहसीलदार झुंझुंनूं से संबंधित है। यदि उक्त आवेदन को एक प्रोफार्मा माना जावे तो, यह जाहिर होगा कि, किस प्रकार से षडयंत्रपूर्वक, बदनियतीपूर्वक पूर्व योजना के तहत खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिये कार्यवाहियों को अजाम दिया जाता है। प्रथम भाग में फिल इन द ब्लैक को पेन से भरकर, पूर्ण किया गया है एवं प्रथम भाग को गिरदावर एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.03.2025 को हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसी सुरत में यह कदापी संभव नहीं है कि, उक्त आवेदन पर ही तहसीलदार झुंझुंनूं द्वारा स्वयं की नोटशीट एवं आदेशिका भी टंकित करवा दी जावे। द्वितीय पार्ट में कार्यालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार झुंझुंनूं द्वारा दिनांक 07.07.2025 की तिथि अंकित कर, खाली स्थानों को भर कर, हस्ताक्षर किया गया है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि, उक्त आवेदन पूर्व से ही तैयार किया हुआ था। जिस पर सभी अर्थात हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा पृथक–पृथक तिथि में हस्ताक्षर कर, मिथ्या लोक दस्तावेज की रचना की, जिसे तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 18.07.2025 को प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 18.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना मौका देखे, बिना दस्तावेजों की वैधता की जांच के आक्षेपित आदेश व आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित कर दिया, जो उक्त आधार मात्र पर भी अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदन के साथ हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रास्ता हेतु सर्वे रिपोर्ट भी प्रस्तुत का गयी थी, जिसमें खसरा नंबर 85 एवं 63 नरेश कुमार का एवं खसरा नंबर 67 के हिस्से 1/4 नीलम का होना अंकित था। जबकि खसरा नंबर 67 के खातेदार उक्त नीलम जो हस्तगत अपील की अपीलार्थी संख्या 1 है, के साथ–साथ अपीलार्थी संख्या 2 व 3 भी खातेदार थे, जिनका कोई उल्लेख ना तो उक्त सर्वे रास्ते में अंकित किया गया, ना ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। खसरा नंबर 69 में हिस्से 1/3 नेमीचन्द का होना अंकित था, जबकि उक्त भूमि के अन्य व्यक्ति भी खातेदार थे, जिन्हें ना तो रास्ता सर्वे में अंकित किया गया, ना ही प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। ऐसी सूरत में अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी की बदनियती स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, जिसके मध्यनजर अपीलाधीन आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 18.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं को प्रस्तुत हुये आवेदन में यह तथ्य अंकित था कि, राजस्व ग्राम दुर्जनपुरा का प्रचलित रास्ता खसरा नंबर 85, 63, 67 में स्थित है, परन्तु आवेदन में एवं मौका फर्द में ऐसे कोई तथ्य अंकित नही थे कि, आवेदन में जिस रास्ते का उल्लेख किया जा रहा है, वह किस ग्राम से किस ग्राम को जाता है तथा उसकी लंबाई चौडाई क्या है ? रास्ते की पहचान बाबत रास्ते के गन्तव्य स्थल बाबत आवेदन व रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित नही थे, जो इस तथ्य को दृष्टीगत करता है कि, आवेदन के माध्यम से जिन खसरा नंबरान में रास्ते का होना जाहिर किया गया था, वहां रास्ते का कोई अस्तित्व ही नही था। इसके बावजूद आवेदन में प्रचलित रास्ता होना अंकित कर, दूषित राजकीय अभिलेख बनाकर, उसका उपयोग कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो उक्त आधार मात्र पर भी अपास्त किये जाने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 67, 69 ग्राम दुर्जनपुरा, तहसील झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं के उत्तरी छोर के अंतिम खसरा है, जिनकी उत्तरी छोर के अंतिम सीरे पर ग्राम अणगासर, तहसील झुंझुंनूं की भूमि लगती हुई है तथा ग्राम अणगासर तहसील झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं के राजस्व नक्शे का अवलोकन करेगें तो यह जाहिर होगा कि, उक्त ग्राम भूमि खसरा नंबर 810/773, 772/196, 761/100, 766/110, 763/115 की किस्म गैर मुमकीन सड़क राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं एवं जो राजस्व अभिलेख में तरमिम भी है, उक्त सड़क ग्राम अणगासर की दक्षिणी सीमा को खसरा नंबर 771/119 पर जाकर छुता है तथा खसरा नंबर 771/119 के ठीक दक्षिण में ग्राम दुर्जनपुरा के खसरा नंबर 69 व 70/433 छुते है। अर्थात् खसरा नंबर 69 के लिये ग्राम अणगासर से आने वाला रास्ता जुडता है, जो खसरा नंबर 69 व 70/433 मे से होकर, खसरा नंबर 610/165 मुख्य सडक में जुडता है, परन्तु खसरा नंबर 69 व 70/433 के खातेदारों द्वारा उक्त रास्ते को अपने खसरा नंबरान में से बन्द किया हुआ है। वहीं हल्का पटवारी व तहसीलदार का, यह कथन है कि, खसरा नंबर 85, 63, 67 ग्राम आबुसर में प्रचलित रास्ता मौजूद है, जो ख़सरा नंबर 84 से 70/433 तक जाता है। जिसका तात्पर्य यह है कि हल्का पटवारी, तहसीलदार खसरा नंबर 70/433 ग्राम दुर्जनपुरा के खातेदार को कतिपय लाभ प्रदान करना चाहते है, जबकि खसरा नंबर 70/433 के पश्चिम में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थित खसरा नंबर 69 की उत्तरी सीमा पर ग्राम अणगासर की भूमि खसरा नंबर 771/119 तक रास्ते की पहुंच है, इसके बावजूद अनावश्यक रूप से अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 में से रास्ता होने का मिथ्या कथन कर, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है। भूमि खसरा नंबर 67 वाके ग्राम दुर्जनुपरा, तहसील झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं का सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के दिशा निर्देश में किया गया था। जिसमें भी राजस्व ग्राम अणगासर में स्थित आम रास्ता जो खसरा नंबर 69 के उत्तरी सीमा को आकर छूता है, को स्पष्ट किया गया था एवं सीमाज्ञान में खसरा नंबर 67, 85, 63 में मौके पर रास्ते के कोई अलामात अंकित नही थे, जिससे स्पष्ट है कि, भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, ना ही मौजूद है। भूमि खसरा नंबर 69 के खातेदार द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 67 पर हो रखी तारबाउण्ड्री को दिनांक 29.06.2025 व 30.06.2025 को रात्रि में काटकर, तारों को चुरा ले गये थे, जिसके संबंध में पुलिस थाना सदर झुंझुंनूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2025 को अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 324(2), 329(3) भारतीय न्याय संहिता में पंजीबद्ध की गई थी, जो अनुसंधानरत है, जिससे यह स्पष्ट है कि, अन्य के अतिरिक्त भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 में से रास्ता कायम किये जाने के लिये पारित आदेश व्यक्ति विशेष को लाभ देने के प्रयोजन से पारित किया गया है। ऐसी सूरत में आक्षेपित आदेश विधि एवं प्रकिया का दुरूपयोग होने के साथ–साथ विधि विरूद्ध भी है, जो उक्त आधार पर भी अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं द्वारा मामले में अपनायी गई प्रकिया का गहनता पूर्वक परिसिलन किये जाने पर यह स्पष्ट होगा कि, उक्त दोनों ही लोक सेवकों का यह कथन है कि, खसरा नंबर 84 में से खसरा नंबर 70/433 तक प्रचलित रास्ता है, जबकि उक्त दोनों ही लोक सेवकों की रिपोर्ट/आदेश में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है कि, उक्त रास्ता किस स्थान से किस स्थान को जाता है ? राजस्व अभिलेख का अवलोकन करे तो यह जाहिर होगा कि, खसरा नंबर 70/433 तक रास्ता जाने का उल्लेख रिपोर्ट/आदेश में किया गया है तथा खसरा नंबर 70/433 से आगे उक्त तथाकथित प्रचलित रास्तों की स्थिति बाबत कोई तथ्य नही है तथा आदेश दिनांक 18.06.2025 में रास्ता खसरा नंबर 69 तक के लिए पारित किया है जो इस तथ्य को प्रमाणित करते है कि, खसरा नंबर 69 के खातेदार को विशिष्ठ रूप से लाभ प्रदान करने के लिये उक्त अवैध कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। एक खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए प्रावधान करती है, जिसके तहत खातेदार निकटतम रास्ते की मांग कर सकता है एवं खसरा नंबर 70/433 के खातेदार को, खसरा नंबर 70/433 के पश्चिम की ओर स्थित भूमि खसरा नंबर 69 के उत्तरी छोर पर ग्राम अणगासर से आ रहा रास्ता छूता है, जिससे यद्यपि खसरा नंबर 70/433 का खातेदार रास्ते की मांग कर सकता था, परन्तु अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा उपरोक्त संदर्भ में गौर किये बगैर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है। अपीलार्थीगण को हल्का पटवारी के माध्यम से आक्षेपित आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 23.07.2025 को आवेदन कर, आक्षेपित आदेश व उसकी पत्रावली प्राप्त की तो, दिनांक 23.07.2025 को प्रतिलिपि शाखा द्वारा अपीलार्थीगण को तहसीलदार के आवेदन के साथ प्रस्तुत हुये मानचित्र की प्रति सही रूप में उपलब्ध नही करवायी। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पुनः आवेदन कर पत्रावली की प्रति प्राप्त की। जिससे संपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ एवं दिनांक 24.07.2025 को आदेश की प्रति प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण को मामले में सुनवाई का अवसर दिये बगैर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 67, 85, 63 मे से बिना किसी प्राधिकार व अधिकार के प्रचलित रास्ता होना कथित कर, रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलार्थीगण के हक अधिकार दुष्प्रभावित हो रहे है। ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण का आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.07.2025 अपास्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट नं. 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनूं, जिला झुंझुंनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं, पटवारी हल्का आबूसर एवं भू.अभिलेख निरीक्षक झुन्झुनूं ने विवादित भूमि जो निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में डोटेड लाइन से दर्ज सार्वजनिक रास्ता का दिनांक 20.03.2025 को रास्ते हेतु किए गए सर्वे में खसरा नम्बर 85, 63, 67 व 69 में एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत गूगल नक्शे में भी खसरा नम्बर 85, 63, 67 व 69 में कदीमी रास्ता मौजूद होना बताया गया है। प्रस्ताव दिनांक 07.07.2025 में भी उक्त रास्ता खसरा नम्बर 84 से खसरा नम्बर 70/433 तक प्रस्तावित किया गया है। जबकि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक/भू.अ./2025/654 दिनांक 07.07.2025 में खसरा नम्बर 69 को छोड दिया गया है। जब मूल सर्वे रिपोर्ट में उक्त रास्ता खसरा नम्बर 84 से खसरा नम्बर 70/433 तक प्रस्तावित किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 85, 63, 67 व 69 सम्मिलित हैं तो तहसीलदार झुन्झुनूं एवं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा अपने प्रस्ताव एवं निर्णय में किस आधार पर खसरा नम्बर 69 को छोडा गया है यह स्पष्ट नहीं है। जबकि गूगल नक्शे में खसरा नम्बर 69 को सम्मिलित करते हुए उक्त रास्ता अन्तिम खेत खसरा नम्बर 70/433 तक जाना स्पष्ट रूप से दर्शित है। कदीमी रास्ते को रिकॉर्ड में सभी खेतों तक रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे किया गया था, जबकि खसरा नम्बर 69 क्यों छोडा गया एवं छोड देने से खसरा नम्बर 70 तक किस प्रकार पहुंचा जा सकेगा स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलान्ट्स को भी सुनवाई हेतु कोई नोटिस नही दिया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट्स भी अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को भी सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार झुंझुनूं से फर्द मौका रिपोर्ट ली जावे, डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है, रास्ता कहां से कहां को जाता है की स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त करें, उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित की जावें, निर्णय में यह भी स्पष्ट करें कि उक्त कदीमी रास्ता किस खसरे से किस खसरे नम्बर तक पहुंचने के लिए दर्ज किया गया है और इसमें अन्य खसरा नम्बरों को भी रास्ता उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं। उपरोक्त के आलोक में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार झुंझुनूं से फर्द मौका रिपोर्ट ली जावे, डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है, रास्ता कहां से कहां को जाता है की स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त करें, उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित की जावें, निर्णय में यह भी स्पष्ट करें कि उक्त कदीमी रास्ता किस खसरे से किस खसरे नम्बर तक पहुंचने के लिए दर्ज किया गया है और इसमें अन्य खसरा नम्बरों को भी रास्ता उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं। उपरोक्त के आलोक में प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर